सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 18 .12.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नवंबर, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को अग्रेषित-

1. निदेशक, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत सरकार के सभी सचिव
3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक (एनआईसी) - एमसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के संबंध में।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नवंबर, 2019 माह के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं:-

(i) संबंधित पक्ष संव्यवहार के अनुमोदन संबंधी प्रावधानों का तर्कसंगत बनाने और उनमें अनुरूपता लाने और ऐसे मामलों के अनुपालन में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 में 18.11.2019 को संशोधन किया गया। ऐसे नियमों के नियम 15(3) से 'II संपूर्ण राशि' के संदर्भ को हटा दिया गया है (अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 857(अ) दिनांक 18.11.2019)।

(2) **परिपत्र :-**

(i) दिनांक 27.11.2019 के सामान्य परिपत्र द्वारा एनएफआरए-2 प्ररूप (लेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के समक्ष भरी जाने वाली को वार्षिक विवरणी) फाइल करने की समय सीमा को एनएफआरए की वेबसाइट पर प्ररूप को अपलोड करने की तारीख से 90 दिन तक बढ़ा दिया गया है (सामान्य परिपत्र सं. 14/2019 दिनांक 27.11.2019)।

(ii) जो कंपनियाँ जम्मू व कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधिकार क्षेत्र में हैं, बिना अतिरिक्त शुल्क के ईप्ररूप एओसी-4, एओसी-4 (सीएफएस), एओसी-4 एक्सबीआरएल और ई-प्ररूप एमजीटी-7 फाइल करने की तारीख को दिनांक 28.11.2019 के परिपत्र द्वारा 31.01.2020 तक बढ़ा दिया गया है (सामान्य परिपत्र सं. 15/2019 दिनांक 28.11.2019)।

(iii) दिनांक 28.11.2019 के सामान्य परिपत्र द्वारा 30.09.2019 को समाप्त अर्धवर्ष के लिए पीएएस-6 प्ररूप (शेयर पूंजी के संराधन की लेखापरीक्षक रिपोर्ट) फाइल करने की तारीख प्ररूप के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख से 60 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है (सामान्य परिपत्र सं. 16/2019 दिनांक 28.11.2019)।

(iv) देश में व्यापार करने में सहजता प्रदान करके रहन-सहन में सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों, हितकारों के बडे समूह के विकसित कारपोरेट कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की कारपोरेट कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले नए मुद्दों के समाधान के लिए,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 18.09.2019 के आदेश द्वारा एक कंपनी विधि समिति का गठन किया ताकि ऐसे मामलों पर ध्यान देते हुए सरकार को सिफारिशें की जा सके। समिति ने विभिन्न मुद्दों की जांच की है और अपनी रिपोर्ट 18.11.2019 को प्रस्तुत कर दी। सीएलसी की रिपोर्ट की अभी जांच चल रही है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 में इसमें की गई जरूरी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संशोधन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत नवंबर 2019 तक कुल 1046 मामले दायर किये गए है जिनमें से 877 मामलों में पहले से ही धारा 3 और 4 के उल्लंघन पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, नवंबर, 2019 तक धारा 6(2) और धारा 6(5) के तहत 718 नोटिस फाइल किये गए है।

4. हाल ही में, विश्व की अग्रणी न्यासरोधी और प्रतिस्पर्धा विधि और समाचार सेवा प्रतिष्ठित ग्लोबल रिव्यु पत्रिका ने विश्व की शीर्ष न्यासरोधी प्राधिकरण के लिए वार्षिक रेटिंग जारी की है जिसके अनुसार हो गई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रेटिंग में पिछले तीन वर्षों से जारी 2 स्टार की रेटिंग बढ़ कर 2.5 स्टार हो गई है।

5. सीसीआई पूर्व-विलय के अनुमोदन हेतु विलय अधिसूचना के साथ सीसीआई को अदा किये जाने वाले फाइलिंग शुल्क में बढ़ोत्तरी की है। प्रतिस्पर्धा (संयोजन) विनियमन, 2011 में तीन मौको पर संशोधन किया गया जब सीसीआई ने शुल्क में बढोत्तरी की है। प्ररूप-I के लिए फाइलिंग शुल्क की प्रदत्त राशि 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दी गई है जबकि प्ररूप-II के लिए 5,00,000 रुपये से बढ़ा कर 6,50,000 रुपये कर दी गई है।

6. डीजी की अन्वेषण रिर्पोट के अनुसार सीसीआई को टाटा स्टील लि., स्वीडन की एबीएसकेएफ और जर्मनी की स्काफलेर एजी की इकाइयों में बैरिंग के मूल्य को लेकर सांठ-गांठ की जानकारी मिली है। सीसाआई ने 2019 में ऑटो क्षेत्र के ग्राहकों को कच्चे माल के लिए उच्च मूल्य पार कराने के लिए 2009-2014 के दौरान बैरिंग के मूल्य निर्धारण में पांच कंपनियों द्वारा सांठ-गांठ किये जाने से संबंधित प्राप्त शिकायतो के बाद 2017 में जांच की।

No. CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 18.12.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of November, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. All Secretaries to the Govt. of India
3. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
4. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
5. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF NOVEMBER, 2019

1. Notifications:-

(i) With a view to rationalize and harmonize the provisions on approval of related party transactions and provide ease of compliance on such matter, the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 have been amended on 18.11.2019. With such objective, the reference to II absolute amounts" appearing in rule 15(3) of such Rules has been omitted. (Notification No. G.S.R. 857 (E), dated 18.11.2019).

2. CIRCULARS:-

(i) Vide General Circular dated 27.11.2019 the time limit for filing Form NFRA-2 (Annual return to be filed by auditor with the National Financial Reporting Authority) has been extend by 90 days from the date of deployment of the form on the website of NFRA. (General Circular No.14/2019 dated 27.11.2019).

(ii) Vide General Circular dated 28.11.2019 the Ministry has extended the due date for filing of eforms AOC-4, AOC-4 (CFS), AOC-4 XBRL and e-form MGT-7 upto 31.01.2020, for companies having jurisdiction in the UT of J&K and UT of Ladakh without levy of additional fee. (General Circular No.15/2019 dated 28.11.2019).

(iii) Vide General Circular dated 28.11.2019 the time limit for filing Form PAS-6 (Reconciliation of Share Capital Audit Report) for the half year ending on 30.09.2019 has been extended by 60 days from the date of deployment of the form on the website of the Ministry. (General Circular No.16/2019 dated 28.11.2019)

(iv) In line with the Government's objective of promoting Ease of Living in the country by providing Ease of Doing Business to law abiding corporates, fostering improved corporate compliance for stakeholders at large and also to address emerging issues having impact on the working of corporates in the country, a Company Law Committee (CLC) was constituted by Ministry of Corporate Affairs vide order dated 18.09.2019 for examining and making recommendations to the Government on such matters. The Committee examined various issues and submitted its report on 18.11.2019. The Report of the CLC is under examination and the Ministry of Corporate Affairs is taking necessary action for amending the Companies Act, 2013 to implement the recommendations made therein.

3. The Total number of cases filed under Competition Act up to November, 2019 stands at 1046 and out of which 877 cases have been already decided for alleged

violation of Section 3& 4. Furthermore, 718 notices under Section 6(2) and Section 6(5) have been filed till November, 2019.

4. According to recently released annual rating of the world's top anti-trust authorities by the prestigious Global Competition Review which is world's leading anti-trust and competition law journal and news service, rating of Competition Commission of India has risen to 2.5 star from 2 star, where it stood for past three years.

5. CCI has enhanced the filing fees which is payable along with the merger notification to the CCI for a pre-merger approval. The amendment of the Competition (Combination) Regulation, 2011 marks third instance where the filing fees has been increased by the CCI. The filing fees to be remitted for a Form- I filing has been increased from INR 1,50,000 to INR 2,00,000 whereas that of Form-II has been increased from INR 5,00,000 to INR 6,50,000.

6. CCI has found that units of Tata Steel Ltd, Sweden's ABSKF and Germany's Schaeffler AG colluded on the pricing of the bearings according to the DG's investigation report. CCI had begun investigation in 2017 after receiving allegations of five companies colluding on bearing prices from 2009-2014 to pass higher raw material costs onto customers in the auto sector.